

राजस्थान कर बोर्ड, अजमेर

अपील संख्या 03/2013/जोधपुर  
वाणिज्यिक कर अधिकारी  
द्वितीय, राजस्थान, जयपुर

अपीलार्थी

बनाम

मैसर्स गिरिराज स्टील  
जोधपुर

प्रत्यर्थी

एकलपीठ  
श्री सुनील शर्मा, सदस्य

उपस्थित

श्री जमील जई  
उप राजकीय अभिभाषक  
श्री आर.वी.सोनी  
अभिभाषक

अपीलार्थी की ओर से

प्रत्यर्थी की ओर से

निर्णय दिनांक 26.10.2015

निर्णय

यह अपील वाणिज्यिक कर अधिकारी, प्रतिकरापवंचन घट द्वितीय, राजस्थान, जयपुर ( जिसे आगे "कर निर्धारण अधिकारी" कहा जायेगा) ने उपायुक्त (अपील्स) प्रथम, वाणिज्यिक कर, जोधपुर (जिसे आगे "अपीलीय अधिकारी" कहा जायेगा) द्वारा अपील संख्या 16/आरवैट/2011-12 में पारित निर्णय दिनांक 29.09.2012 के विरुद्ध पेश की गई है।

प्रकरण के संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार हैं कि प्रत्यर्थी बसवहारी के व्यवसाय स्थल का सर्वेक्षण दिनांक 17.03.2011 को कर निर्धारण अधिकारी द्वारा किया गया। सर्वेक्षण के दौरान सन्देहास्पद दस्तावेज पाये जाने पर राजस्थान मूल्य परिवर्धित कर अधिनियम, 2003 (जिसे आगे अधिनियम कहा जायेगा) की धारा 75 (4) के अन्तर्गत लेखा पुस्तकों का अभिग्रहण किया गया। अभिग्रहित लेखा पुस्तकों की जांच करने एकसीबिट पृष्ठ संख्या 1 व 2 एवं पृष्ठ संख्या 56 में दर्ज माल को विक्रय मानते हुए उस कर व ब्याज एवं अधिनियम की धारा 61 के अन्तर्गत शास्ति आरोपित की गयी, जिससे व्यथित होकर प्रत्यर्थी व्यवहारी की ओर से अपीलीय अधिकारी के समक्ष प्रस्तुत करने पर उन्होंने कर निर्धारण अधिकारी द्वारा कर, ब्याज एवं शास्ति को अपास्त कर अपीलीय आदेश दिनांक 28.09.2012 पारित किया, जिससे असन्तुष्ट होकर कर निर्धारण अधिकारी की ओर से यह अपील प्रस्तुत की गई है।

अपीलार्थी कर निर्धारण अधिकारी की ओर से विद्वान उप राजकीय अभिभाषक ने कथन किया कि सर्वेक्षण के दौरान व्यवसाय स्थल पाये गये लूज पेपर्स का सत्यापन नियमित लेखा पुस्तकों से नहीं करवा सकने के कारण उसका अभिग्रहण किया गया। उनका कथन है कि उक्त लूज पाये गये पेपर्स की ऑडिट करने पर वर्ष 2010-11 में 4 प्रतिशत से रु. 14,43,850/-की कुछ बिक्री ऐसी पायी गयी, जिनका इन्द्राज ना तो लेखा पुस्तकों पाया गया और ना ही त्रैमासिक विवरण पत्रों में घोषित किया गया, जिससे करापवंचन की मंशा स्पष्ट होती है, अतः कर निर्धारण अधिकारी द्वारा

कार्यवाही की जाकर कर, ब्याज एवं शास्ति आरोपित की गई है, जो पूर्णतः उचित है। उनका कथन है कि विद्वान अपीलीय अधिकारी ने प्रकरण के तथ्यों एवं उपलब्ध दस्तावेजीय साक्ष्यों की अनदेखी करते हुए अपीलाधीन आदेश पारित कर आरोपित कर, ब्याज एवं शास्ति को अपास्त किया है, जो अविधिक है। उनका कथन है कि प्रत्यर्थी व्यवहारी ने नोटिस के जवाब में बताया गया है कि मैसर्स अश्मिता एण्टरप्राइजेज, जोधकपुर एवं मैसर्स लतिपाल आयरन शॉप फलौदी को यह मान भेजा नहीं गया तथा यह संव्यवहार पूर्ण नहीं हुआ है। उनका कथन है कि कर निर्धारण अधिकारी ने उक्त कथन के आधार पर अधिनियम की धारा 25, 55 एवं 61 के अन्तर्गत कर, ब्याज एवं शास्ति आरोपित की गई है, जो पूर्णतः उचित है। उन्होंने उक्त कथन के आधार पर प्रस्तुत अपील स्वीकार करने का निवेदन किया।

प्रत्यर्थी व्यवहारी के विद्वान अभिभाषक ने कथन किया कि कर निर्धारण अधिकारी द्वारा कुल 5 एक्सबिट के रूप में जिन बहियात का अभिग्रहण किया गया, उनमें से प्रत्येक प्रविष्टि की जांच/सत्यापन करवाया गया। उनका कथन है कि एक एक्सबिट जिसमें कुल 66 पेपर थे, जिसमें एस्टीमेट/आर्डर स्लिप, चालानों की प्रतियाँ एवं बिलों की प्रतियाँ थी, का सत्यापन करवा लिया गया था। उनका कथन है कि उक्त अभिग्रहित बहियात में किसी तरह का कोई विक्रय ऐसा नहीं पाया गया, जो लेखा पुस्तकों में दर्ज की हुई नहीं हों। उनका कथन है कि रु. 14,43,850/- की बिक्री लेखा पुस्तकों में होना नहीं पाया जाना बताया, जिसके सम्बन्ध में नोटिस जारी किये जाने पर लिखित प्रतिवेदन प्रस्तुत किया गया, जिसमें बताया था कि पृष्ठ 1 में मैसर्स अश्मिता एण्टरप्राइजेज का आर्डर लिखा हुआ था एवं पेज 56 पर मैसर्स लटियाल आयरन शॉप का आर्डर लिखा हुआ था तथा दोनों ही पेज पर केवल आर्डर लिखे हुए थे, जिसमें केवल मात्रा लिखी हुई थी और कोई माल की दर या राशि या किसी तरह के माल जाने सम्बन्धी विवरण लिखा हुआ नहीं था। उनका कथन है कि स्लिप बुक में माल माल विक्रय के लिए केवल आर्डर या एस्टीमेट लेते समय विवरण लिखा जाता है तथा माल के विक्रय का चालान बनाया जाता है तथा बिल जारी किया जाता है जबकि इसमें स्पष्ट रूप से आर्डर की मात्रा लिखी हुई थी। उनका कथन है कि माल का कोई विक्रय नहीं हुआ है इसकी पुष्टि आर्डर देने वाली फार्म से भी की जा सकती है। उनका कथन है कि जब माल का विक्रय ही नहीं हुआ तो कर, ब्याज एवं शास्ति का आरोपण किया जाना अविधिक होने से अपास्त योग्य है। उन्होंने उक्त कथन के आधार पर प्रस्तुत अपील स्वीकार करने का अनुरोध किया।

उभय पक्ष की बहस सुनी गयी तथा उपलब्ध रिकार्ड तथा अपीलीय अधिकारी के आदेश का अवलोकन किया गया। कर निर्धारण अधिकारी की पत्रावली के 29 व 30



पर आर्डर/एस्टीमेट उपलब्ध है तथा पेज नम्बर 29 पर एकजीबिट 1 अंकित किया हुआ,जिस पर मात्रा, आर्डर देने वाले का नाम तथा दिनांक लिखी हुई है, किन्तु दोनों ही पृष्ठों पर किसी भी तरह का माल जाने सम्बन्धी या उनके भाव अथवा राशि अंकित नहीं है। कर निर्धारण अधिकारी ने केवल आर्डर के विवरण विक्रय मानकर करारोपण किया गया है जबकि विक्रय होने का कोई साक्ष्य सर्वेक्षण के दौरान अभिग्रहीत बहियात में नहीं पाया गया है। पत्रावली के पेज 28 पर होटल मेघ निवास महावेन्दर के नाम की स्लिप है जिस पर रू. 41,850/-अंकित है,जिस पर भी करारोपण किया गया है। कर निर्धारण अधिकारी ने उक्त अंकित नाम की फर्म से कोई सत्यापन नहीं किया है जबकि उक्त आर्डर स्लिप पर ग्राहकों के पते अंकित है।

पत्रावली पर उक्त प्रकार से उपलब्ध दस्तावेजों के अवलोकन से पाया जाता है कि ग्राहकों को दिए जाने वाले आर्डर की मात्रा लिखी जाती है तथा जब भी माल की डिलीवरी दी जाती है तब इसी एस्टीमेट स्लिप पर चालान नम्बर भी लिए दिये जाते हैं। प्रकरण के समस्त तथ्यों के पश्चात यह पाया जाता है कि कर निर्धारण अधिकारी ने दोनों आर्डर पेपर के सम्बन्ध में किसी भी तरह की तौल पर्ची या विक्रय राशि अथवा पेमेन्ट होना नहीं पाया है और ना ही इस सम्बन्ध में कोई जांच किया जाना पत्रावली से ज्ञात होता है। ऐसी स्थिति में विक्रय होने का कोई प्रमाण नहीं होने से कर,शास्ति एवं ब्याज आरोपण किया जाना अनुचित है।

अपीलीय अधिकारी के अपीलाधीन आदेश के अवलोकन से ज्ञात होता है कि उन्होंने इन्हीं तथ्यों का विस्तृत विवेचन करते हुए कर निर्धारण अधिकारी द्वारा आरोपित कर,शास्ति एवं ब्याज को अपास्त किया है,जिसमें कोई त्रुटि नजर नहीं आती है। फलस्वरूप अपीलीय अधिकारी के अपीलाधीन आदेश दिनांक 28.09.2012 की पुष्टि करते हुए प्रस्तुत अपील अस्वीकार की जाती है।

निर्णय सुनाया गया।

(सुनील शर्मा)

सदस्य